पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
प्रेस–विज्ञप्ति
विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23–01–2023

दिनांक 22/23–01–2023 को रात्रि थाना अमीनाबाद 02, थाना हसनगंज 01, थाना नगराम 01, थाना ठाकुरगंज 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना मलिहाबाद– दिनांक 23.01.2023 को थाना मलिहाबाद द्वारा बताया गया कि वादी श्री रामसहाय पुत्र हरदयाल निवासी–ग्राम व पोस्ट–कसमण्डी कलां थाना मलिहाबाद लखनऊ ने थाना मलिहाबाद पर सूचना दिया कि दिनांक 22.01.2023 को समय करीब 06.30 बजे सांय वादी का पुत्र सन्तोष अपने बेटे अनमोल (जो कि दिव्यांग है) को बाजार से सामान दिलाकर वापस अपने घर आ रहा था कि तभी रास्ते में बैठे प्रेम पुत्र मिश्रीलाल निवासी–ग्राम व पोस्ट–कसमण्डी कलां थाना मलिहाबाद लखनऊ वादी के पुत्र सन्तोष उपरोक्त को घूर कर देख रहा था, जिस पर वादी के पुत्र सन्तोष द्वारा टोकने पर प्रेम और सुशील पुत्रगण मिश्रीलाल निवासी–ग्राम व पोस्ट–कसमण्डी कलां थाना मलिहाबाद लखनऊ, उमेश और सागर पुत्रगण सत्यनारायण निवासी–ग्राम व पोस्ट–कसमण्डी कलां थाना मलिहाबाद लखनऊ ने एकराय होकर लाठी–डण्डों व बांका लेकर वादी के घर में घुसकर हमला कर दिये। जिसके कारण वादी व वादी की पत्नी रामरानी व वादी की पुत्री सरोज और वादी के पुत्र सन्तोष को गम्भीर चोटें आयी। उक्त विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गये। घायलों का इलाज सीएचसी मलिहाबाद में चल रहा है। **इस सूचना पर थाना** मलिहाबाद **पर मु0अ0सं0 09/2023 धारा 323/324/452/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

विभूतिखण्डः–दिनांक 23–01–2023 को थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादी श्री स्पर्श गुप्ता पुत्र स्व0 संजय गुप्ता निवासी 18 कौशलपुरी गोमतीनगर थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि दिनांक 22–01–2023 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि को वादी खबर करने लोहिया अस्पताल गया था, जहां वादी द्वारा एक मरीज को दयनीय हालत में देखकर उचित चिकित्सीय व्यवस्था देने हेतु आग्रह किया जिस पर डा0 अभिषेक गुप्ता व डा0 गौरव ने वादी के साथ मारपीट व गाली गलौज किया, वादी द्वारा अपना परिचय संवाददाता के रुप में देने पर उक्त डा0 अभिषेक गुप्ता व डा0 गौरव ने अपने करीब 15 से 20 साथियों के साथ मिलकर वादी को घसीटते हुए एक कमरे में ले गये, जहां वादी का मोबाइल, माइक आई0डी0 को छीन लिया गया व वादी को मारापीटा। इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 43/2023 धारा 147/352/504/394 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुनील कुमार मौर्या द्वारा की जा रही है।**

अमीनाबादः–दिनांक 23–01–2023 को थाना अमीनाबाद द्वारा बताया गया कि श्री रामप्रसाद वर्मा (हेड क्लर्क) छेदीलाल धर्मशाला थाना अमीनाबाद लखनऊ ने थाना अमीनाबाद पर सूचना दिया कि हमारे यहां छेदीलाल धर्मशाला अमीनाबाद लखनऊ में दिनांक 20–01–2023 को समय सांय 07.45 बजे कमरा नम्बर बी–11 में यश दीक्षित पुत्र श्री उमेश कुमार दीक्षित निवासी 507 खंजनपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद हरदोई रुका था, और कमरा नंम्बर बी–11 बुक किया था तथा इनका 02 दिन का किराया जमा था। आज दिनांक 23–01–2023 को किराया जमा कराने हेतु चौकीदार को भेजा गया तो उसके कमरे का दरवाजा नही खुला, कई बार दरवाजा खटखटाने पर जब दरवाजा नही खुला तो थाना अमीनाबाद पुलिस को सूचना दी गयी, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाकर देखा गया तो यश दीक्षित ने कमरे के अन्दर रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री दीपक कश्यप द्वारा आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक जनपद हरदोई में अपना बिजनेश करता था। मृतक अविवाहित था।